विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4599
उत्तर की तिथि	:	25—02—2022
विषय	:	शारीरिक शिक्षक
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा):
संबंधित मंत्री	:	शिक्षा मंत्री

	प्रश्नः	उत्तरः
(क)	क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः— यह सत्य है कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 2000 पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया था; यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जाएगा; और	(क) एवं (ख), सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	यह भी सत्य है कि शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के अतिरिक्त सभी वर्गों के शिक्षकों के पदों को भरा गया है; यदि हां, तो शारीरिक शिक्षकों की बैकलॉग भर्ती पर सरकार कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है; पूर्ण ब्यौरा दें ?	

प्रश्न संख्या तारांकित 4599 जोकि श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा): द्वारा शारीरिक शिक्षक बारे पूछा गया है के (क) तथा (ख) भाग का उत्तर :–

(क) जी नहीं। सरकार द्वारा राजकीय उच्च तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त चल रहे 870 पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ की जाती, माननीय उच्च न्यायालय में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा याचिकाएं क्रमश CWP OA 3573 & 5318 of 2019 दायर की गई, जिसमें दिनांक 26.08.2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन आदेश पारित किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही इन पदों को भरा जाना है।

(ख) वर्तमान में शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों का 230 पदों का बैकलॉग है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन आदेश पारित होने के कारण बैकलॉग पदों को भरने बारे अभी कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है।